मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26-अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / लेखा / 19–20 / 37 भोपाल, दिनांक 25 / 04 / 19

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति......................,
जिला......................................(म.प्र.)।

विषयः–प्रदेश की मंडी समितियों में ई–भुगतान को बढ़ावा देने के लिये मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण बावत् ।

संदर्भः–पत्र क्रमांक बोर्ड / लेखा / 18–19 / 977 दिनांक 23.02.2019 ।

––00––

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें प्रदेश की मंडी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को ई–भुगतान को बढ़ावा देने के लिये दिनांक 05 फरवरी 2019 को एक्सिस बैंक के अधिकारियों द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं आपको यह निर्देश दिये गये थे कि आप अपनी मंडी समितियों में जाकर मंडियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं मंडी में कृषि उपज विक्रय हेतु आये हुये कृषकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण एक्सिस बैंक के अधिकारियों से संपर्क कर आयोजित करें एवं इसकी जानकारी मंडी बोर्ड, मुख्यालय को आवश्यक रूप से भेजें। इसके उपरांत भी आपके द्वारा इस संबंध में कोई भी जानकारी मुख्यालय को प्रेषित नहीं की गई।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ई–भुगतान माड्यूल के संबंध में अल्पकालीन प्रशिक्षण आयोजित कर आंचलिक कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों के माध्यम से ~~मुख्यालय~~ भेजें।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा आदेशित

अपर संचालक (वित्त)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / लेखा / 19–20 / 38 भोपाल, दिनांक 25 / 04 / 19

प्रतिलिपिः–

संयुक्त / उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके संभाग अंतर्गत अधीनस्त मंडी समितियों से ई–भुगतान माड्यूल के संबंध में अल्पकालीन प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर दिनांक 05.05.2019 तक मासिक समीक्षा बैठक में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर संचालक (वित्त)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल